

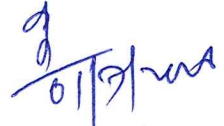
बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०— पि०व०/७/आ०क०वि०प्र० एवं संधा०—३९—०९/२०२६—५०३ पटना, दिनांक—११/७/२६

—:: कार्यालय आदेश ::—

श्रीमती निहारिका कुमारी, प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा—६ से ८), विषय—गणित एवं विज्ञान, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +२ उच्च विद्यालय, वैशाली को उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, वैशाली द्वारा अग्रेतर कार्रवाई हेतु किये गये अनुशंसा के आलोक में श्रीमती निहारिका कुमारी को अभ्यावेदन में अपने बच्चे के उल्लेखित स्वास्थ्य कारणों से बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता के नियम—२२०A एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०—६४०, दिनांक—१९.०१.२०१५ में निहित प्रावधानों के आलोक में शिशु देखभाल हेतु दिनांक—०१.०७.२०२६ से २८.०९.२०२६ तक कुल—९० दिनों का शिशु देखभाल अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

२—प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

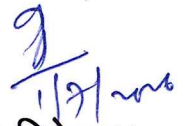

(गोपाल प्रसाद)

उप निदेशक।

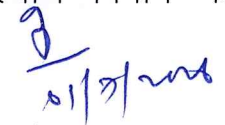
ज्ञापांक— पि०व०/७/आ०क०वि०प्र० एवं संधा०—३९—०९/२०२६—५०३ पटना, दिनांक—११/७/२६
प्रतिलिपि:—जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, वैशाली को निदेश है कि श्रीमती निहारिका कुमारी के शिशु देखभाल अवकाश की अवधि में आंतरिक व्यवस्था के तहत शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित किया जाना सुनिश्चित करें।

२— श्रीमती निहारिका कुमारी, प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा—६ से ८), अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +२ उच्च विद्यालय, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप निदेशक।

ज्ञापांक— पि०व०/७/आ०क०वि०प्र० एवं संधा०—३९—०९/२०२६—५०३ पटना, दिनांक—११/७/२६
प्रतिलिपि:—आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


उप निदेशक।